

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - निम्बाहेडा)



2025/1560

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1433

दायर दिनांक 16/12/2025 निर्णय दिनांक 16/12/2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>बालारडा</u>	<u>74</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश कमांक/2025--26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक <u>इपासन</u></p>	<p>तहसालीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>बालारडा</u> प.ह. <u>बालारडा</u> खातासं <u>74</u> में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक - <u>इपासन</u></p>
			<p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p><u>वे. वि. वि. 25</u></p> <p>पटवार मण्डल <u>बालारडा</u></p> <p>कपासन जिला-चित्तौड़गढ़</p>	<p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p><u>[Signature]</u></p>
			<p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p><u>[Signature]</u></p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ -

- पटवारी पटवार मण्डल बालारडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार कपासन